<u>पुलिस आयुक्त कार्यालय : दिल्ली</u>
<u>पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001</u>

<u>आदेश</u>

विषय: नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश |

तीन नए आपराधिक कानून 01/07/2024 से लागू होंगे |

दिनांक 01/07/2024 से अपराध की घटना की तिथि और एफ०आईआर के पंजीकरण की तिथि के संबंध में पुलिस स्टेशनों के बीच एफ०आईआर के पंजीकरण में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए, नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद एफ०आईआर के पंजीकरण में स्पष्टता हेतु विभिन्न परिस्थितियों में लागू दंडात्मक कानून पर प्रकाश डालने वाली एक तालिका बनाई गई है:

अपराध/ घटना की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	कानून के प्रावधान लागू किये जायेंगे	प्रक्रियात्मक कानून का पालन किया जाना चाहिए
1 जुलाई 2024 से पहले	1 जुलाई 2024 से पहले	भारतीय दंड संहिता (IPC)	सीआरपीसी (Cr.P.C.)
1 जुलाई 2024 से पहले	1 जुलाई 2024 को या उसके के बाद	भारतीय दंड संहिता (IPC)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
1 जुलाई 2024 को या उसके बाद	1 जुलाई 2024 को या उसके बाद	भारतीय न्याय संहिता, **(BNS)**	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

आपके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों को इन तीनों कानूनों के सफल अनुपालन के लिए उचित निर्देश दें और इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही में कोई त्रुटि न रह जाए। इसके लिए तमाम स्टाफ को नियमित रूप से ब्रीफिंग द्वारा जागरूक किये जाते रहना, सभी से अपेक्षित है।

<u>यह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया गया है।</u>